समाहरणालय, दरभंगा

(जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय)

–: आदेश :–

कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना के अन्तर्गत प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–03 / मु0क्षे0वि0यो0–37 / 2012–4511 दिनांक–09.11.2012 एवं प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–9811 दिनांक–07.11.2012, एवं पत्रांक– 768 दिनांक–24.01.13 के आलोक में जिला के प्राथमिकता सूची में सम्मलित कब्रिस्तानों की घेराबन्दी करया जाना है। इस कार्यालय के पत्रांक–33, दिनांक–18.01.19 एवं 831 / 18.09.2019 द्वारा स्थायी प्राथमिकता सूची से कब्रिस्तानों के घेराबन्दी का प्राक्कलन तैयार करने हेतु निदेश दिया गया था।

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल–2, बेनीपुर के पत्रांक–1342 दिनांक–25.09.2019 द्वारा कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना के कार्यान्वयन हेतु हायाघाट प्रखंड के प्राथमिकता सूची क्रमांक–31 एवं 32 के कब्रिस्तानों का तकनीकी स्वीकृति पश्चात् प्राक्कलन प्रस्तुत करते हुए प्रशासनिक स्वीकृत हेतु अनुरोध किया गया है। इनसे प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर निम्नांकित कब्रिस्तानों के नाम के सामने कॉलम–6 में अंकित राशि से योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	कब्रिस्तान का नाम	खेसरा संख्या	प्राक्कलित राशि
1	2	3	4	5	6
1	हायाघाट	चन्दनपट्टी	ग्राम–बरईपट्टी के उत्तरी भाग में कब्रिस्तान घेराबन्दी	7	4670900.00
2	हायाघाट	चन्दनपट्टी	ग्राम–बरईपट्टी के दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान घेराबन्दी	24	1824500.00

योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तो का पालन करते हुए किया जाएगा:–

1. योजना का कार्यान्वयन गृह विभाग से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में कराया जाएगा।
2. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व स्थल की फोटो ग्राफी कराकर अभिलेख में संधारित करेंगे।
3. अंचल अधिकारी से यह आश्वस्त हो लेंगे कि प्रस्तावित कब्रिस्तान की जमीन खतियान / सरकारी अभिलेख में बिहार सरकार या अनाबाद सर्व साधारण के रूप में अथवा कब्रिस्तान के रूप में दर्ज हैं।
4. योजना स्थल पर विधिवत सूचना पट्ट प्रदर्शित किया जाएगा।
5. वास्तविक सीमांकन के पश्चात् लम्बाई में यदि किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी या कमी होती है तो इसका अनुमोदन अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
6. कार्य की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जवाबदेही कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल–2, बेनीपुर की होगी। निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली सामाग्रियों का समय–समय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला से जॉच कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. योजना पूर्ण होने के पश्चात् सूचना पट्ट के साथ फोटोग्राफ / पूर्णता प्रमाण पत्र / उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. वित्त विभाग के अद्यतन निदेश के आलोक में विधिवत् GST एवं अन्य करों की विधिवत कटौती की जाएगी।
9. प्रत्येक माह के अन्त में योजना का प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी एवं गृह विभाग के साथ अन्य संबंधित पदाधिकारी की भी उपलब्ध करायेंगे।

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा।